तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
03/03/2020	वकुलाय उपस्थित। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय 6/3/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी
6/3/2020	वकुलाय उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा पारिक, आर. ए. एस.।

राजस्व विविध संख्या–04/2018

प्रार्थी :– मानाराम पुत्र पनारामजी, जाति – सीरवी,
निवासी– इन्टदरा मेडतियान्, तहसील– रानी,
जिला– पाली (राज)

बनाम

अप्रार्थीगण :–1– मगाराम पुत्र हीरारामजी,
2– पकाराम पुत्र हीरारामजी,
3– बदाराम पुत्र हीरारामजी,
समस्त जातिगण– सीरवी, निवासीगण–इटन्दरा मेडतियान्,
तहसील–रानी, जिला– पाली (राज.)

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :–

उपस्थिति :–

1– श्री विजय राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2– श्री गणेशराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन की ओर से।
3– अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक–06/3/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया गया कि– प्रार्थी की खातेदारी

पेज 2 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि मौजा गांव इटन्दरा मेडतियान, तहसील रानी, जिला पाली (राज.) मे खसरा नम्बर 60 रकबा 0.8400 हैक्टयर, किस्म चाही दोयम, जाव दोयम व खसरा नम्बर 58 रकबा 0.0500 हैक्टयर, किस्म गै.मु. बेरा कब्जा काश्त सुदा विद्यमान है। जिस आराजियात मे काश्त हेतु आवागमन के लिए रास्ता नही है जिस आराजियात मे जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 59 रकबा 1.4800 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम मे से माठ के सहारे सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित के अनुसार ए बी सी डी ई , पन्द्रह फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को नियमानुसार दिलवाया जाने की प्रार्थना की तथा रास्ते को नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने व जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 22.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य दर्ज किये है। प्रार्थी के भाईयो ने गलत बंटवाडा किया है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 60/1 मे से रास्ता दिया जाना चाहिए। अन्त मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण मे मौका की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रानी के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक, खौड से करवाकर पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

उभय पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रानी की ओर से भू अभिलेख निरीक्षक खौड की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस अनुसार ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किया जावे। इस के साथ ही प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट मे जो रास्ता दर्शाया गया है वही रास्ता वर्तमान मे मौके पर भी विद्यमान है लेकिन रास्ता तरमीम नही होने से परेशानी होती है। अप्रार्थी ने भी अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को बहस मे दोहराया तथा जवाब के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार सी डी ई रास्ता देने का सुझाव दिया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

पेज 3 पर

Scanned by CamScanner

दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 व 58 मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही है एवं रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि व बेरे पर आ जा नही सकता है। जिस कारण से प्रार्थी ने खसरा नम्बर 59 मे से रास्ते की मांग प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शे के अनुसार ए बी सी डी ई की है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 60 प्रार्थी मानाराम के खातेदारी का है तथा खसरा नम्बर 58 केसाराम पुत्र लुम्बाराम, मानाराम (प्रार्थी) व ओगडराम पुत्रगण पनाराम, मगाराम, पकाराम, बदाराम पुत्रगण हीराराम, अणची पत्नी हीराराम जातिगण सीरवी की संयुक्त खातेदारी का है। राजस्व रेकर्ड मे उक्त खसरा नम्बर 60 व 58 मे आने जाने हेतु रास्ता नही है। जिसके लिए रास्ता खसरा नम्बर 59 रकबा 1.4800 व 58/625 रकबा 0.0200 मे से दिया जा सकता है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। जिस रास्ते को प्रार्थी को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जो कि मौका रिपोर्ट मे एबीसीडीईएफजीएचआईजेकेएल के रूप मे दर्शाया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते मे से ही प्रार्थी का वर्तमान मे भी आना जाना यही से होना बताया है तथा प्रार्थी के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होना व नजदीकी रास्ता होना अपनी रिपोर्ट मे जाहिर किया है। जिससे मेरी विन्रम राय मे भू अभिलेख निरीक्षक, खौड की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 60 व 58 मे आने जाने हेतु रास्ता पांच वर्गमीटर चौडाई मे दिया जाना न्यायसंगत है।

– आदेश–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भू अभिलेख निरीक्षक की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार मौजा गांव इटन्दरा मेडतियान् मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 60 व 58 मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 59 व 58/625 मे से रास्ता जो खसरा न. 59 मे से 0.0550 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 58/625 मे से 0.0080 हैक्टयर जो कुल रकबा 0.0630 हैक्टयर होता है। उक्त रकबा मौका जांच रिपोर्ट मे लाल स्याही के रूप मे मार्क एबीसीडीईएफजीएचआईजेकेएल के रूप मे दर्शाया गया है। उक्त नया रास्ता प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 व 58 मे पहुंच हेतु स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की आराजी 0.0630 हैक्टयर की वर्तमान डीएलसी दर रूपये 10,070 Rs- है जिसकी दुगुनी राशि रूपये 20,140/- प्रतिकर राशि के रूप मे तय की जाती है, जो उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थी राजकोष मे जमा करावे, जो राशि प्रतिकर स्वरूप इसके खातेदार अप्रार्थीगण प्राप्त करेगे।

पेज 4 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि जमा कराने के पश्चात उक्त नये रास्ते की भूमि का अमल दरामद तहसीलदार, रानी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे गै.मु. सार्वजनिक रास्ता दर्ज करे एवं नक्शा मे तरमीम करे। उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ता के रूप मे खुली रहेगी, जिसका रास्ता के रूप मे आवागमन हेतु प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपयोग उपभोग करेगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार, रानी को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रानी
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक– 06/03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रानी
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner